सं. 8/4/2011-जीवनांक(सि.र.प्र.)

हिन्दी रूपान्तर

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
V.S.DIVISION, WEST BLOCK-1, R.K.PURAM, NEW DELHI-110066
दूरभाष-फैक्स/Tele-fex.No. 26104012 E-mail - drg.crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक: 22.10. 2012

सेवा में

सभी मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु

विषय : गुमशुदा व्यक्ति के मृत्यु के स्थान के निर्धारण संबंधी स्पष्टीकरण ।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 का अवलोकन करें जिसके द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के मामले में न्यायालय के आदेश में मृत्यु की तारीख का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु की तारीख के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया था ।

2. इस स्पष्टीकरण के प्रत्युतर में कुछ राज्य सरकारों ने न्यायालय के आदेश में मृत्यु के स्थान का उल्लेख न होने की स्थिति में मृत्यु के स्थान के निर्धारण के संबंध में कतिपय जानकारी मांगी थी । उपर्युक्त के आलोक में इस कार्यालय द्वारा इस मामले को परामर्श के लिए पुन: केन्द्रीय विधि मंत्रालय को भेजा गया । मंत्रालय ने परामर्श दिया कि :

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण केवल सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जाएगा और 'मृत्यु की तारीख' वह होगी जिस तारीख को वादी न्यायालय में गया तो ऐसे में यह उपयुक्त होगा कि 'मृत्यु का स्थान' वह स्थान हो सकता है जहां वादी न्यायालय में गया । अस्पष्टता के मामले में न्यायालय से ही उपयुक्त स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है ।

3. यह पत्र इस कार्यालय के दिनांक 29 दिसम्बर, 2011 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ जारी किया जा रहा है कि इस पत्र के विषय से सभी जिला और स्थानीय स्तर के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों को अवगत करा दें ताकि वे गुम हुए व्यक्ति की मृत्यु दर्ज कर सकें । इस संबंध में की गई कार्रवाई से एवम् इस संबंध में जारी किए गए अनुदेश की प्रति से इस कार्यालय को अवगत कराएं ।

भवदीय,

(अजय खन्ना)
उप निदेशक (सी.आर.एस.)